

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

262

क्रमांक सी. 3-11/2012/1/3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2016

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा का निर्धारण।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 एवं 20 नवम्बर, 2012.

संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 के पैरा-4 की तालिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


क्र.	आवेदक	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा (वर्ष में)	मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु-सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	35
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	35
6.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

3/ उक्त परिपत्र जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2016

पृष्ठांकन क्रमांक सी. 3-11/2012/1/3

प्रतिलिपि-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त जनरल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी 3-8/2016/1/3


भोपाल, दिनांक 13 मई, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं उनके हितों के संरक्षण बावत्।

विषयांतर्गत आयु-सीमा के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12 मई, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। तदनुसार विभागीय भर्ती नियम में संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।



(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग


पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-8/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।

6. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
 7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
 8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
 10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
 13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 14. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
 15. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
 16. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
 17. सचिव, म.प्र. मानव अधिकारी आयोग, भोपाल।
 18. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
 20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
 21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
 22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
 23. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक | 2 मई, 2017


शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- प्रदेश के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने एवं उनके हितों के संरक्षण बावत्।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/1/3 दिनांक 03 नवम्बर, 2012, 20 नवम्बर, 2012 एवं 13 जनवरी, 2016.

संदर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1.	क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
			न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
(1)		खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 28	18 से 25



2. मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट


(1)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+12=40	25+15=40
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(3)	पुरूष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
(4)	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	28+17=45	25+20=45
(5)	पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28+17=45	25+20=45
(6)	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	28+17=45	25+20=45

प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु-सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।

3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

2/ उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सी.बी. पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मई, 2017

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-8/2016/3-एक

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
 2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
 3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
 4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
 5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
 7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
 9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
 12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
 14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
 15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
 16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
 17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
 19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
 20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
 21. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
 22. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग